

एमएमटीसी लिमिटेड

कोर # 1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003

फोन नंबर: 24362200; 24361889 फैक्स संख्या 24360724

ईमेल: ganarayanan@mmtclimited.com

वेबसाइट: www.mmtclimited.com

सीआईएन: एल51 9 0 9 डीएल 1 9 63GOI004033

विषय : शेयरधारकों द्वारा कंपनी में धारित शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में ट्रांसफर करने के लिए अनिवार्य सूचना

यह नोटिस कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों, जिसके साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 तथा समय-समय पर यथासंशोधित ("नियम") पठनीय है, के अनुसरण में प्रकाशित किया जाता है।

नियमों के अनुसार कंपनी के ऐसे सभी ईक्विटी शेयरों, जिनके लिए लगातार 7 (सात) वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं हो सका है अथवा उनके संबंध में लाभांश भुगतान का क्लेम नहीं किया गया है, उनका उपरोक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार आईईपीएफ सस्पेंस खाते में ट्रांसफर किया जाना अनिवार्य है।

ऐसे सभी शेयरधारकों, जिनहोंने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अंतिम लाभांश के लिए अपने क्लेम नहीं भेजे हैं तथा नियमों के तहत इनके शेयर आईईपीएफ को ट्रांसफर किए जाने अनिवार्य हैं, को उनके रजिस्टर्ड पते पर सूचना भेजी जा रही है। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त वर्ष 2014-15 के लिए क्लेम न किए गए / भुगतान न हो सके अंतिम लाभांश के लिए अपने क्लेम दिनांक 15.10.2022 को या उससे पहले कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड से संपर्क करें। अन्यथा नियमों की आवश्यकताओं के अनुसरण में, कंपनी उनके शेयरों को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ खाते में ट्रांसफर कर देगी। आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

संबंधित शेयरधारकों का पूरा विवरण और आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित करने के लिए दायी उनके शेयरों के ब्योरे कंपनी की वेबसाइट www.mmtclimited.com पर उपलब्ध हैं।

ऐसे शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं तथा उनके शेयर आईईपीएफ सस्पेंस खाते में स्थानांतरित करने के दायी हैं उन्हें डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और इसके बाद इन्हें आईईपीएफ सस्पेंस खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। तदनुसार, संबंधित शेयरधारकों द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे। शेयरधारक यह भी नोट कर लें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण नियमों के अनुसार आईईपीएफ खाते में शेयरों के ट्रांसफर के उद्देश्य से डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से पर्याप्त नोटिस माना जाता है। इसी प्रकार यदि शेयर डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, तो कंपनी आईईपीएफ को शेयरों के ट्रांसफर के लिए कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

शेयरधारक नोट कर लें कि दावे न किए गए लाभांश तथा आईईपीएफ में ट्रांसफर किए गए शेयरों तथा इन शेयरों से उत्पन्न लाभों के लिए आईईपीएफ नियम , 2016 में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण से वापिस ले सकते हैं।

उपर्युक्त के संबंध में कंपनी से किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सूचना प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ 65, प्रथम तल, ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली 110020 फॉन 011 4140 6149

फैक्स: - 011-4170 9881 ईमेल: - admin@mcsregistrars.com , ajay@mcsregistrars.com से संपर्क करें।

बोर्ड के आदेश द्वारा,
कृते एमएमटीसी लिमिटेड
हस्ता / -

(जी. आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव

दिनांक : 9.9.2022